न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./4421/2004/उदयपुर

1– गणेश पुत्र गोपा डांगी निवासी भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
2– गेगा पुत्र गोपा डांगी निवासी भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
3– श्रीमति वरदू बाई पुत्री गोपा डांगी विधवा कालू डांगी निवासी थूर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
4– श्रीमति गेन्दी पुत्री गोपा डांगी विधवा दोला डांगी निवासी पुला तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
5– श्रीमति नारू बाई पुत्री गोपा डांगी, पत्नी गेगा जी डांगी, निवासी शोभापुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
6– श्रीमति वरजू बाई पुत्री गोपा डांगी पत्नी कन्ना डांगी निवासी मानुपरा तहसील गिर्वा उदयपुर।
7– श्रीमति लक्ष्मी बाई पुत्री गोपा डांगी पत्नि दूदाराम निवासी शोभापुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

.....अपीलांट्स

बनाम

1– श्रीमती टाकू बाई विधवा परथा डांगी निवासी मनवा का खेड़ा हाल भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
2– खेमराज पुत्र परथा डांगी निवासी मनवा का खेड़ा हाल भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
3– मोहनलाल पुत्र परथा डांगी, निवासी मनवा का खेड़ा हाल भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
4– श्रीमति झमकु बाई पुत्री परथा डांगी निवासी मनवा का खेड़ा पत्नी शंकर डांगी निवासी मानपुरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
5– श्रीमति गोपी बाई पुत्री परथा डांगी निवासी मनवा का खेड़ा पत्नी भंवरलाल डांगी निवासी देवरी की मगरी, भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
6– सुश्री सोहनी पुत्री परथा डांगी अल्वयस्क बविलायत माता श्रीमती टांकु बाई निवासी भुवाणा हाल भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
7– सुश्री लक्ष्मी पुत्री परथा डांगी अल्पवयस्क बविलायत माता श्रीमती टांकु बाई निवासी भुवाणा हाल भुवाणा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

.....रेस्पोडेंटस

खण्ड–पीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य
श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थित :
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट।
श्री पूर्णाशंकर दशोरा अधिवक्ता रेस्पोडेंट।

निर्णय

दिनांकः– 17 मार्च, 2021

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 59/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–5–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा इत्यादि का रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध पेश किया जिसे प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया तथा एक कानूनी आपत्ति यह उठाई कि विवादित भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा अवाप्त की जाकर अवार्ड जारी किया जा चुका है तथा कब्जा भी लिया जा चुका है। अतः विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं रहने से दावा चलने योग्य नहीं है। इस आपत्ति पर विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा ने अन्य वाद बिन्दुओं के साथ इस आशय का भी वाद बिन्दु तनकी नम्बर 5 बनाया तथा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दोनों पक्षों की पहले क्षेत्राधिकार पर बहस सुनी गई। अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2004 में यह माना कि उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा अवाप्त कर कब्जा लिये जाने के कारण यह भूमि कृषि भूमि नहीं रही है और ऐसी भूमि की खातेदारी की घोषणा का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नही है और अपीलांट का वाद क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही निर्णित कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2004 के विरूद्ध भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–5–2004 द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायलय के समक्ष पेश की गई है।

3– रेस्पोडेंट नंबर–2 खेमराज द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी दिनांक 03–7–2018 को प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र के साथ निर्णय व डिक्री दिनांक 11–5–2006, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3, उदयपुर प्र.सं. 76/2004 ई.दी. गणेश वगैरह बनाम श्रीमति टांकू बाई वगैरह की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की एवं अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया। प्रस्तुत दस्तावेज एक न्यायिक प्रक्रिया का निर्णय है जो अपील प्रस्तुत होने के बाद का है और इस अपील के पक्षकारान के मध्य इसी विवादित भूमि से संबंधित होने से सुसंगत दस्तावेज/ साक्ष्य है। इस निर्णय व डिक्री दिनांक 11–5–2006 को रिकार्ड पर लिया जाना उचित पाते हैं। अतः प्रार्थनापत्र दिनांक 03–7–2018 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर निर्णय मय डिक्री दिनांक 11–5–2006 को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

4– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/वादीगण ने अपील–मीमों में अंकित अपील आधारों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम भुवाणा में स्थित है। उक्त भूमि का विक्रय करने तथा हस्तांतरण का दस्तावेज लिखे जाने व नामांतरकरण खोले जाने व रजिस्ट्री किये जाने के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 15–7–2003 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि विवादित भूमि के पंजीयन में कोई रोक नहीं है। विवादित भूमि आज भी कृषि भूमि है। अपीलांट का उस पर आधिपत्य है एवं रेस्पोडेंट के खिलाफ घोषणा चाही गई है। ऐसे प्रकरण को सुने जाने का अधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को है। भूमि अवाप्ति के संबंध में कोई रिलीफ अपीलांट द्वारा मांगी नहीं गई है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 5 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है। यह एक भारी कानूनी बिन्दु है जिसके आधार पर पक्षकारों के हितो को तय फरमाना था न कि नगर विकास प्रन्यास के। निर्णय किये जाने से भूमि अवाप्ति संबंधी कोई बिन्दु विद्यमान नहीं था क्योंकि दोनों पक्षों के मध्य खातेदारी तय किया जाना था जिस हेतु

राजस्व न्यायालय ही सक्षम है। अन्त में उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–5–2004 खारिज फरमाया जावे।

6– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अवाप्त की जा चुकी है। यह भूमि आबादी की हो चुकी है और कृषि भूमि नहीं रही है। अतः भूमि अवाप्त होने पर ऐसी भूमि के संदर्भ में खातेदारी घोषणा का दावा राजस्व न्यायालय में नहीं चल सकता है। उनका यह भी कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित किये है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा 2004 (11) आर.बी.जे. पेज 134, 2007 (1) आर.आर.टी. पेज 3, 2016 (23) आर.बी.जे. पेज 54, 2019 आर.आर.डी पेज 620, 2017 (2) आर.आर.टी. पेज 1004, 1989 आर.आर.डी. पेज 774, 2020 (1) आर.आर.टी. पेज 3, 1988 आर.आर.डी. पेज 571 की नजीरें पेश की गई। अतः अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय यथावत कायम रखा जावे।

7– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

8– वादी ने जो दावा दिनांक 16–01–2003 को प्रस्तुत किया उससे पूर्व ही विवादित भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अवाप्त कर अवार्ड दिनांक 29–6–1996 को जारी कर कब्जा दिनांक 19–02–1997 को नगर विकास प्रन्यास द्वारा ले लिया गया था। पंचाट दिनांक 29–02–96 के द्वारा राजस्व अभिलेख में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर केनाम आबादी में दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था। इस प्रकार विवादित भूमि आबादी में होने के कारण राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं रहता है। दावे में उठाए गए पक्षकारान के अधिकार महत्वपूर्ण सिविल अधिकार हैं जिसके लिए पक्षकारान के सक्षम

सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 11–5–2006 को निर्धारित कर दिये हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि एवं तथ्य की कोई गलती नहीं की है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः अपील अपीलांट सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–5–2004 यथावत रखा जाता है।

10– इस निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की पालनार्थ अविलंब प्रेषित किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रवि डांगी)
सदस्य

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य